

## संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

### प्रलमिस के लयि:

संसदीय वशिषाधिकार, संसदीय परंपराएँ, वैधानिक कानून, प्रकरयिा और कार्य संचालन के नयिम, अभवियक्तकी स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, न्यायकि उन्मुक्ति, वशिषाधिकार का उललंघन, वशिषाधिकार समति, लोकसभा, राज्यसभा, नदि, नलिबन, नषिकासन, 44वाँ संशोधन अधनियिम 1978, संसदीय स्वायत्तता, सर्वोच्च न्यायालय (SC), संवधान के अनुच्छेद 105, 122, 194 और 212।

### मेन्स के लयि:

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय वशिषाधिकारों और उन्मुक्तियों का महत्त्व

## संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्तियाँ क्या हैं?

#### परचय:

- संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्ति से तात्पर्य भारत में [संसद सदस्यों \(MP\)](#) और [राज्य वधानसभाओं के सदस्यों](#) को दयि गए वशिष अधिकारों, स्वतंत्रताओं और उन्मुक्तियों से है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और बनिा कसिी हस्तक्षेप के पालन कर सकें।
- ये वशिषाधिकार लोकतांत्रिक ढाँचे में वधायी संस्थाओं की स्वतंत्रता, गरमिा और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनश्चिति करते हैं।

#### उत्पत्ति:

- भारत में संसदीय वशिषाधिकारों की जड़ें [चारटर अधनियिम, 1833](#) में हैं तथा इनका वकिस [भारत सरकार अधनियिम, 1935](#) के माध्यम से हुआ, जसिने वधायकों को अभवियक्तकी स्वतंत्रता प्रदान की।

#### संसदीय वशिषाधिकारों के स्रोत:

- भारत का संवधान :
  - अनुच्छेद 105: [अनुच्छेद 105](#) सांसदों को अभवियक्तकी स्वतंत्रता, संसद या इसकी समतियों में कार्यवाही के लयि न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है, तथा संसद को वधिद्वारा वशिषाधिकारों को परभाषति करने का अधिकार देता है।
  - अनुच्छेद 122: [अनुच्छेद 122](#) प्रक्रयिगत अनयिमतिताओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही की न्यायकि समीक्षा पर प्रतबिंध लगाता है।
  - अनुच्छेद 194: [अनुच्छेद 194](#) राज्य वधायकों को वधायिका में अभवियक्तकी स्वतंत्रता और कार्यों के लयि उन्मुक्ति प्रदान करता है, साथ ही वधियों के माध्यम से वशिषाधिकारों को परभाषति करने की शक्तिभी प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 212: [अनुच्छेद 212](#) प्रक्रयिगत अनयिमतिताओं के कारण न्यायालयों को राज्य वधानमंडल की कार्यवाही पर सवाल उठाने से प्रतबिंधति करता है।
- संसदीय सम्मेलन (1947 की ब्रिटिश संसदीय प्रथाओं पर आधारति)।
- वैधानिक कानून ([संसद](#) द्वारा अधनियिमति कानून)।
- [प्रकरयिा तथा कार्य संचालन नयिम](#) ([लोकसभा](#) और [राज्यसभा](#))।
- न्यायकि व्याख्याएँ ([सर्वोच्च न्यायालय](#) और [उच्च न्यायालय](#) के नरिणय)।

#### प्रमुख वशिषताएँ:

- इसका उद्देश्य संसदीय कार्यों के नषिपादन के दौरान [सदस्यों को बाह्य दबावों और वधिकि दायित्वों से संरक्षण](#) देना है।
- ये वशिषाधिकार [सदस्यता के साथ ही समाप्त](#) हो जाते हैं, अरथात व्यक्ति के वधानमंडल का सदस्य न रहने पर ये वशिषाधिकार समाप्त हो जाते हैं।
- इनका वसितार [व्यक्तगत सदस्यों और सामूहिक संस्था \(सदन\)](#) तक है।

#### नोट:

- वर्तमान में [संसद](#) का कोई ऐसा अधनियिम नहीं है जो [संसदीय वशिषाधिकारों](#) को परभाषति करता हो।
- ये उन्मुक्तियाँ वर्तमान में [ब्रिटिश संसदीय परंपराओं द्वारा शासति](#) हैं।

- वशिषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के प्रयासों को **अस्वीकार** कर दिया गया है, तथा वर्ष 2008 में **लोकसभा की वशिषाधिकार समिति** ने इसके वरिद्ध सफारिश की थी।

## सांसदों और वधायकों को कौन-कौन से संसदीय वशिषाधिकार प्राप्त हैं?

### व्यक्तगत वशिषाधिकार:

- **परचय:**
  - व्यक्तगत वशिषाधिकार से तात्पर्य **सांसदों** और **राज्य वधानमंडल के सदस्यों** द्वारा प्राप्त अधिकारों और उन्मुक्तियों से है, जो उन्हें हस्तक्षेप या अभियोजन के भय के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाती हैं।
- **वशिषाधिकार:**
  - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सदस्यों को संसद में **अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार** है (**अनुच्छेद 105(1)**)।
  - वधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति: **संसद** या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या दिये गए मत के लिये सदस्यों को न्यायालयी कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है (**अनुच्छेद 105(2)**)।
  - प्रकाशनों के लिये संरक्षण: रपिर्ट, पत्र, वोट या संसद द्वारा अधिकृत कार्यवाही प्रकाशित करने के लिये व्यक्तियों के खिलाफ कोई न्यायालयी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती (**अनुच्छेद 105 (2)**)।
  - न्यायिक जाँच से उन्मुक्ति: न्यायालय प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकते (**अनुच्छेद 122(1)**)।
  - गरिफ्तारी से उन्मुक्ति: सदस्यों को सत्र के दौरान सविलि मामलों में गरिफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, साथ ही सत्र से **40 दिनि** पहले और बाद में भी गरिफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है (**धारा 135 A, सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908**)।

### सामूहिक वशिषाधिकार:

- **परचय:**
  - ये वे अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं जो **भारतीय संसद और राज्य वधानमंडल तथा उनके सदस्यों और अधिकारियों को सामूहिक रूप से** प्राप्त हैं।
- **वशिषाधिकार:**
  - प्रकाशन अधिकार: संसद अपनी रपिर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित कर सकती है और दूसरों को ऐसा करने से प्रतिबंधित कर सकती है।
    - **44वाँ संशोधन अधिनियम 1978**, प्रेस को गुप्त बैठकों को छोड़कर, बिना पूर्व अनुमोदन के संसदीय कार्यवाही की सटीक रपिर्ट प्रकाशित करने की अनुमति देता है।
  - गुप्त बैठकें: संसद अतिथियों (**Strangers**) को बाहर रख सकती है और महत्वपूर्ण मामलों पर **गुप्त चर्चा** कर सकती है।
  - नियम-नरिमाण प्राधिकरण: यह संबंधित मामलों के न्यायनरिणयन सहित **अपनी प्रक्रियाओं** और व्यावसायिक आचरण के लिये **नियम स्थापति** कर सकता है।
  - अनुशासनात्मक शक्तियाँ: संसद **वशिषाधिकार के उल्लंघन** या अवमानना के लिये **सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों** को नदि, चेतावनी, कारावास, नलिंबन या नषिकासन के माध्यम से **दंडति** कर सकती है।
  - सूचना का अधिकार: इसे अपने सदस्यों की गरिफ्तारी, बंदी, अपराध सदिधि, कारावास या मुक्ति के बारे में **तुरंत सूचति कयि जाने का** अधिकार है।
  - जाँच शक्तियाँ: संसद जाँच कर सकती है, गवाहों को **समन भेज सकती है**, तथा संबंधित पेपर तथा रकिर्र्ड की मांग कर सकती है।
  - न्यायिक उन्मुक्ति: न्यायालय संसदीय कार्यवाही या उसकी समितिकी गतिविधियों पर प्रश्न नहीं उठा सकते।
  - परसिर की सुरक्षा: पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना संसद परसिर के भीतर गरिफ्तारी या वधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

## वशिषाधिकार हनन और सदन की अवमानना क्या है?

- **वशिषाधिकार का उल्लंघन:**
  - **वशिषाधिकार का उल्लंघन** तब होता है जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य या सदन के वशिषाधिकारों की उपेक्षा करता है या उन्हें कमज़ोर करता है।
  - इसमें **सदन के वैध आदेशों की अवज्ञा** या सदन, उसके सदस्यों, समितियों या अधिकारियों के वरिद्ध अपमानजनक कार्यवाही जैसे अपराध शामिल हैं।
  - ऐसे उल्लंघन दंडनीय हैं।
- **सदन की अवमानना:**
  - यह वशिषाधिकार हनन से अलग है और इसका तात्पर्य किसी ऐसे कृत्य या चूक से है जो **सदन, उसके सदस्यों या अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के नरिवहन में बाधा डालता है**।
  - इसमें **सदन या उसके सदस्यों के बारे में अपमानजनक भाषण या लेख**, सभापतिकी नषिपक्षता पर सवाल उठाना, या नषिकासति

## वशिषाधिकार का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या है?

- **प्राधिकार:** केवल **संसद** ही वशिषाधिकार उल्लंघन या **अवमानना** का निर्धारण कर सकती है; न्यायालयों को इस पर कोई अधिकार नहीं है।
- **प्रक्रिया:**
  - कोई सदस्य **राज्यसभा के सभापति/लोकसभा अध्यक्ष** की सहमति से वशिषाधिकार हनन का मामला उठा सकता है।
  - यदि सहमति मिल जाती है, तो **सदन मामले पर नरिणय ले सकता है** या इसे **वशिषाधिकार समिति** (राज्यसभा में 10 सदस्य, लोक सभा में 15 सदस्य) को भेज सकता है।
  - **वशिषाधिकार समिति का कार्य:**
    - समिति **संदर्भित मामलों की जाँच** करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वशिषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसकी प्रकृत किया है, तथा परिस्थितियाँ क्या हैं।
    - समिति द्वारा **अनुशंसाओं सहित एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत** की जाती है।
    - रिपोर्ट पर विचार करने के लिये प्रस्ताव के बाद, **समिति सदन से अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखती है।**
    - आगे की कार्यवाही **सदन के नरिणय** पर आधारित होती है, जिससे प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- **अध्यक्ष की भूमिका:** अध्यक्ष स्वयं भी मामले को समिति को भेज सकते हैं या स्वतंत्र जाँच कराकर सदन को सूचित कर सकते हैं।
- **प्रतिबंध:** किसी वशिषित, हालिया मामले पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रत्येक बैठक **केवल एक वशिषाधिकार प्रश्न** उठाया जा सकता है।
- **वशिषाधिकार उल्लंघन के लिये दंड:**
  - एक बार जब सदन वशिषाधिकार के उल्लंघन के लिये दंड निर्धारित कर देता है, तो इसमें **नदि, चेतावनी या कारावास** जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं, तथा **बंदी** सदन सत्र की अवधिक ही सीमिति रह सकती है।
  - दोषी सांसदों के लिये दंड में **नलिंबन या नषिकासन** शामिल हो सकता है।
- **उल्लेखनीय मामला:**
  - वर्ष 1978 में, पूर्व **प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी** को लोकसभा वशिषाधिकार समिति द्वारा वशिषाधिकार हनन और अवमानना का दोषी पाया गया था। सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के आरोप में उन्हें **संसद से नषिकासन और कारावास** का सामना करना पड़ा। बाद में वर्ष 1981 में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

## संसदीय वशिषाधिकारों से संबंधित प्रमुख नरिणय क्या हैं?

- **1970-71, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24** (CBI/SPE), 1998: सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नरिणय दिया कि रशिवत लेने वाले सांसदों पर **भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता**, यदि वे सहमति के अनुसार मतदान करते हैं या सदन में बोलते हैं।
- **1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24**: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्तियाँ सभी नागरिकों पर लागू अपराधिक विधियों सहित सामान्य विधियों से उन्मुक्त प्रदान नहीं करती हैं।
- **1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24**: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 के पी.वी. नरसमिहा राव मामले में दिये गए नरिणय को पलट दिया, जिसमें मतदान करने के लिये रशिवत लेने वाले संसद और विधानसभा सदस्यों को उन्मुक्त प्रदान की गई थी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन पर रशिवतखोरी के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया, तथा नरिणय दिया कि **अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत उन्मुक्त रशिवतखोरी के मामलों तक वसितारित नहीं होती, जो कि एक पृथक अपराधिक कृत्य है, जो विधिनिरमाताओं के मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है।**

## संसदीय वशिषाधिकारों की आलोचनाएँ क्या हैं?

- **पारदर्शिता का अभाव:** संसदीय वशिषाधिकारों का प्रयोग प्रायः **अपारदर्शी प्रक्रियाओं** के माध्यम से किया जाता है, जिससे सार्वजनिक नगिरानी सीमिति हो जाती है तथा विधायी प्रणाली में विश्वास कम हो जाता है।
  - इससे विधायी कार्यवाही के दौरान तथा उनके सार्वजनिक आचरण में विधायकों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** विधायकों ने कभी-कभी **विधिक जवाबदेही से बचने या असहमति को दबाने के लिये वशिषाधिकारों का दुरुपयोग किया है**, तथा अनुचित या निरधार बयान देने के लिये विधायिका के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग किया है।
  - वशिषाधिकारों के उपयोग की नगिरानी और विनियमन के तंत्र अपर्याप्त हैं, जिससे दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है और विधायी प्रक्रियाओं में विश्वास कम हो रहा है।
- **कार्यक्षेत्र में असपष्टता:** कई वशिषाधिकारों की अलखित प्रकृति असंगत व्याख्याओं और अनुप्रयोगों को जन्म देती है, जिससे अनश्चितता और मनमाने नरिणयों की गुंजाइश बनती है।
- **समानता के साथ टकराव:** गरिफ्तारी से उन्मुक्त जैसे वशिषाधिकारों को **विधिक समक्ष समानता के सिद्धांत के साथ असंगत** माना जा सकता है, जिससे विधायकों को अनुचित संरक्षण प्राप्त होता है।
- **पुरानी प्रथाएँ:** औपनिवेशिक युग की परंपराओं में नहिंति कुछ वशिषाधिकार अब पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं।

## संसदीय वशिषाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ क्या हैं?

- **यूनाइटेड किंगडम:**
  - UK की संसद को अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्त तथा अपनी कार्यवाही को वनियमति करने का अधिकार जैसे वशिषाधिकार प्राप्त हैं। ये संवधि, सामान्य वधि और पूरव नरिण्यों के संयोजन से प्राप्त होते हैं।
- **कनाडा:**
  - कनाडा की संसद अपने सदस्यों को अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्त, तथा वशिषाधिकार के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - इन्हें **संवधान अधनियम, 1867** और **कनाडा संसद अधनियम, 1985** के तहत परभाषति किया गया है।
- **ऑस्ट्रेलिया:**
  - संसदीय वशिषाधिकार संवधान में नहिंति हैं। वधियकों को अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता, गरिफ्तारी से उन्मुक्त, तथा संसदीय कार्यवाही को वनियमति करने का अधिकार प्राप्त है, तथा ये अधिकार UK और कनाडा के समान सिद्धांतों पर आधारति हैं।

- **संसदीय स्वायत्तता को खतरा:** संहिताकरण संसदीय मामलों को न्यायिक जाँच या कार्यकारी हस्तक्षेप के अधीन करके **वधायिका की स्वतंत्रता को कमजोर** कर सकता है, जिससे शक्तियों का पृथक्करण समाप्त हो सकता है।
- **संवैधानिक प्रावधानों का खंडन :** संवधान का **अनुच्छेद 122** न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही की जाँच करने से रोकता है , जिससे वधायी स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। वशिषाधिकारों को संहिताबद्ध करने से संसदीय मामलों को **वधिकि चुनौतियों** की अनुमति देकर इस सुरक्षा को कमजोर किया जा सकता है।
- **नम्यता की क्षति:** संसदीय वशिषाधिकार **नम्य होते हैं और वधायकों को उभरते मुद्दों के अनुकूल ढलने की अनुमति देते हैं।** संहिताकरण से **कठोर नियम लागू हो सकते हैं**, जिससे वधायिका की बदलती राजनीतिक गतिशीलता पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम हो सकती है।
- **जटलिता और लंबी प्रक्रिया:** संहिताकरण के लिये **सांसदों, वधिकि वशिषज्जों और नागरिक समाज के बीच व्यापक वचिर-वमिरश** की आवश्यकता होगी, जिससे यह **एक समय लेने वाली और जटलि प्रक्रिया** बन जाएगी।

- **उत्तरदायी उपयोग:** वधायकों को अपने वशिषाधिकारों का वविकपूरण उपयोग करना चाहयि, वयक्तगित या राजनीतिक लाभ के लयि दुसुपयोग से बचना चाहयि । अनुचति टपिपणयिँ, नरिाधार आरोप या शषिटाचार को कमजोर करने वाली कारयवाहयिँ से बचना चाहयि ।
- **अधकारिँ का सममान:** संसदीय वशिषाधिकारिँ से वयक्तयिँ के अधकारिँ और सममान का उल्लंघन नहीँ होना चाहयि । वधायकों को वशिषाधिकारिँ का उपयोग भय, परेशान करने अथवा भेदभावपूरण वयवहार करने के लयि नहीँ करना चाहयि ।
- **पारदरशति और जवाबदेही:** वधकि नरिमाताओं को वशिषाधिकारिँ का उपयोग करने में पारदरशति बनाए रखनी चाहयि, अपने कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहयि और अपने कारयों को उचति ठहराने के लयि तैयार रहना चाहयि । इससे जनता का वशिवास बढ़ता है और वधायी वशिवसनीयता मज़बूत होती है ।
- **संसदीय परकरयिओं का पालन:** स्थापति संसदीय नयिमों और स्थायी आदेशों का सखती से पालन करना आवशयक है । वधायी परकरयिओं की पवतिरता को बनाए रखते हुए वशिषाधिकारिँ के आहवान और परवर्तन में नषिपकषता और न्यायसंगतता सुनश्चिति करना आवशयक है ।
- **कषमता नरिमाण और जागरूकता:** संसदीय वशिषाधिकारिँ के दायरे, सीमाओं और नैतिकि उपयोग पर परशकिषण कारयक्रम औरनयिमति जागरूकता सत्तर, वधायकों को अपनी ज़मिमेदारयिँ को बेहतर ढंग से समझने और उनहें बनाए रखने में मदद कर सकते हैं ।

**??????????**

**प्रश्न. समाज में समानता होने का एक नहितार्थ यह है कउसमें (2017)**

उत्तर: A

परश्न. संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, वशिषाधकार और उनमुक्तियाँ (इम्यूनिटीज), जैसे कवि संवधिान की धारा 105 में परकिलपति हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफाइड) और अ-परगिणति वशिषाधकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय वशिषाधकारों के वधििकि संहतिकाकरण की अनुपसथतिके कारणों का आकलन कीजयि। इस समसया का कया समाधान नकाला जा सकता है? (2014)

